प्रेस नोट दिनांक 29.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित ₹25,000-₹25,000 के इनामिया 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस की कार्यवाही, हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित ₹25,000-₹25,000 के इनामिया 02 अभियुक्त प्रकट नाथ मन्दिर के पास से गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.07.2025 को रात्रि वादी बारघाट से अपने घर लौटते समय ग्राम छीटपुर स्थित सतीमाई की बाग में पूर्व से घात लगाए बैठे नामजद व अन्य अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डंडा आदि से हमला कर घायल कर दिया गया। शोर सुनकर ग्रामीणों के आने पर अभियुक्तगण वादी की जेब में रखे रुपये एवं गले में पहनी सोने की चैन छीनकर धमकी देते हुए फरार हो गए। इस संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 120/25 धारा 3(5)/115 (2)/352/351 (3)/109 (1) BNS बनाम 05 नामजद व 4-5 अज्ञात लोग के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 पंकज वर्मा, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 राजेश कुमार यादव, का0 आनन्द प्रकाश यादव, म0का0 किरन, म0का0 संगीता मय चालक हे0का0 हरिकेष यादव व प्रभारी स्वाट/ सर्विलांस टीम श्री उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह का0 सुर्यप्रताप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 120/25 धारा 3(5)/115 (2)/352/351 (3)/109 (1) BNS थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित ₹25,000-₹25,000 के ईनामिया 02 वांछित अभियुक्तों, 01. राजा उर्फ शनि गौतम पुत्र लालजी गौतम उम्र करीब 20 वर्ष, 02. प्रियांशु उर्फ अर्जुन पुत्र लालजी गौतम उम्र करीब 18 वर्ष समस्त निवासी ग्राम छीटपुर थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रकट नाथ मन्दिर के पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मैने व मेरे परिवार वालो ने मिल कर अपने ही गाँव के व्यक्ति को मारा पीटा था। हम लोग गिरफ्तारी के डर से छिपछिपा कर रहते थे । मेरे वकील ने बताया की तुम लोगो के खिलाफ माननीय न्यायालय से वारण्ट व कुर्की का आदेश जारी हो गया है तुम लोग 10-15 दिन अपने आप को पुलिस से बचा लोगो तो मैं तुम लोगो की मा० न्यायालय से अग्रिम जमानत ले लुंगा । इसी कारण से हम लोग न तो पुलिस के समक्ष व न ही मा0 न्यायालय मे आत्मसम्पर्ण कर रहे थे और यही मन्दिर से कुछ दूरी पर हम लोगो का

ननिआउर खर्जुन्नी गाँव मे है देर सबेर वही पहुंचकर रात काटते है और हर रोज अपने आप को पुलिस व जनता से छिप-छिपाकर रह रहे है कि आप लोगो ने हम लोगो को आज पकड लिया।

इनामिया गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. राजा उर्फ शनि गौतम पुत्र लालजी गौतम उम्र करीब 20 वर्ष,
02. प्रियांशु उर्फ अर्जुन पुत्र लालजी गौतम उम्र करीब 18 वर्ष समस्त निवासी ग्राम छीटपुर थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 पंकज वर्मा, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 राजेश कुमार यादव, का0 आनन्द प्रकाश यादव, म0का0 किरन, म0का0 संगीता मय चालक हे0का0 हरिकेष यादव थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

स्वॉट टीम- प्रभारी स्वाट/ सर्विलांस टीम श्री उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह का0 सुर्यप्रताप सिंह।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 150 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 600 रू0 के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत सेमक बाबा का स्थान बरियावां माइनर के किनारे के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज के उ0नि0 मिथलेश कुमार, उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 तेज प्रकाश, का0 नवीन यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत सेमक बाबा का स्थान बरियावां माइनर के किनारे के पास से 01 अभियुक्त अजय सोनकर उर्फ बब्लू पुत्र स्व० मूलचन्द्र सोनकर उम्र करीब 32 वर्ष

नि0 आलापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को कुल 01 किलो 150 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 600 रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0 40/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- अजय सोनकर उर्फ बब्लू पुत्र स्व० मूलचन्द्र सोनकर उम्र करीब 32 वर्ष नि0 आलापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 01 किलो 150 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 600 रू0 बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मिथलेश कुमार, उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 तेज प्रकाश, का0 नवीन यादव थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस की कार्यवाही: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त आदित्य सरोज के कब्जे से 01 अदद नाजायज 315 बोर तमंचा, 01 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 315 बोर व चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री बैकुण्ठनाथ पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 हरेन्द्र सिंह, का0 प्रेमदत्त द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत लोनी नदी पुल के पास से 01 अदद नाजायज 315 बोर तमंचा, 01 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 315 बोर व चोरी 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त, आदित्य सरोज पुत्र रामचन्द सरोज निवासी ग्राम कुम्भापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज 315 बोर तमंचा, 01 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 315 बोर व चोरी 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 10.03.2025 को वादी द्वारा बाजार से लौटते समय अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर शौच हेतु जाने के दौरान अज्ञात चोर द्वारा वाहन का लॉक तोड़कर चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 112/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. आदित्य सरोज पुत्र रामचन्द सरोज निवासी ग्राम कुम्भापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद नाजायज 315 बोर तमंचा, 01 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 315 बोर व चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 हरेन्द्र सिंह, का0 प्रेमदत्त थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त लालजी सरोज को किया गया गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत बेडियन के पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0का0 सन्तराज सरोज व का0 सुनील सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64 (1)/123/351(2) बीएनएस थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त लालजी सरोज उम्र करीब 52 वर्ष पुत्र लहुरी प्रसाद निवासी ग्राम बिकरा थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत बेडियन के पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. लालजी सरोज उम्र करीब 52 वर्ष पुत्र लहुरी प्रसाद निवासी ग्राम बिकरा थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0का0 सन्तराज सरोज व का0 सुनील सरोज थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस की कार्यवाही: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अरविन्द तिवारी उर्फ वीरु तिवारी के कब्जे से 01 अदद नाजायज 315 बोर तमंचा, 03 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह हे0 का0 सुनील यादव व का0 उपेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चांदपुर अन्तर्गत सरकारी ट्यूबेल के पास 01 अदद नाजायज 315 बोर तमंचा, 03 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त, अरविन्द तिवारी उर्फ वीरु तिवारी पुत्र भारत भूषण तिवारी निवासी ग्राम सडारी खजुरनी पोस्ट रामपुर गौरी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना देल्हूपुर पर 44/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बरामद की गई, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अरविन्द तिवारी उर्फ वीरु तिवारी पुत्र भारत भूषण तिवारी निवासी ग्राम सडारी खजुरनी पोस्ट रामपुर गौरी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 29 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद नाजायज 315 बोर तमंचा, 03 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह हे0 का0 सुनील यादव व का0 उपेन्द्र कुमार थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजू को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत हरिपालमऊ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण –
वादी निवासी ग्राम चकिया मजरा गनपा थाना सैनी सिराथू जनपद कौशाम्बी की बहन की शादी दिनांक 08.06.2025 को राजू पुत्र पप्पू निवासी हरपालमऊ नसीरपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था तथा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। दिनांक 21.02.2026 को मृतका द्वारा फोन पर अपनी जान का खतरा बताया गया, जिसके अगले दिन उसकी फांसी लगाकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 38/2026 धारा 85/80 B.N.S. व 3/4 DP Act बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूक र द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 38/2026 धारा 85/80 B.N.S. व 3/4 DP Act थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त राजू पुत्र राम नरायन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम हरपालमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत हरिपालमऊ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजू पुत्र राम नरायन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम हरपालमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विजय यादव को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 मुन्ना यादव मय हमराह का0 संगम लाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/137(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विजय यादव पुत्र शिव बहादुर यादव निवासी टोडरपुर जलेसरगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष स्थायी पता ग्राम अचकवापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत डाक बंगला तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विजय यादव पुत्र शिव बहादुर यादव निवासी टोडरपुर जलेसरगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष स्थायी पता ग्राम अचकवापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मुन्ना यादव मय हमराह का0 संगम लाल थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।